बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या – SHSB/NTCP/GIA/1981/2016/1520 पटना, दिनांक : 23/6/17

1. चूँकि; भारत में 12 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष तंबाकू सेवन के कारण होती है। भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू०एच०ओ०) के द्वारा किए गए ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2010 के अनुसार, बिहार में वयस्कों के बीच तंबाकू के सेवन की व्यापकता 53.5 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय स्तर (34.6 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है।

2. चूँकि; तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के, 'फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल' (FCTC) का वर्ष 2004 में भारत के द्वारा अभिपुष्टि की गयी है, अतः भारत FCTC के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य है। FCTC के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार तंबाकू उद्योग के वाणिज्यिक तथा अन्य निहित स्वार्थों से तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की लोक स्वास्थ्य नीतियों को कानूनी प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जानी है।

3. दिनांक 21.04.2016 को मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण पर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल (FCTC) के अनुच्छेद 5.3 को लागू करने और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने के लिये दिशा–निर्देश तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः, लोक स्वास्थ्य के हित में, डब्ल्यू०एच०ओ० के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल' (FCTC) के अनुच्छेद 5.3 के आलोक में, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से प्रधान सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति (Empowered Committee) का गठन किया जाता है, जिसका स्वरूप निम्नांकित होगा:–

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार	अध्यक्ष
प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग, बिहार सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
प्रधान सचिव, विधि विभाग, बिहार सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
प्रधान सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	सदस्य सचिव
पुलिस विभाग, बिहार सरकार के पुलिस महानिरीक्षक स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
राज्य नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	संयोजक

5. समिति यह सुनिश्चित करेगी कि तंबाकू उद्योग अथवा उसके प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने में संलग्न अनुलग्नक–'क' में दिए दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित हो।

6. बिहार सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इस विषय से संबंधित कोई भी मामला प्राप्त होते ही समिति के अध्यक्ष या सदस्य सचिव के संज्ञान में लाया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(........................ 23/6/17)

विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार

ज्ञापांक संख्या : 1520 पटना, दिनांक: 23/6/17

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के लिए अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 300 (तीन सौ) प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को उपलब्ध कराई जायें ।

23/6/17

विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार

ज्ञापांक संख्या : 1520 पटना, दिनांक: 23/6/17

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

23/6/17

विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार

ज्ञापांक संख्या : 1520 पटना, दिनांक: 23/6/17

प्रतिलिपि : मान्नीय स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

23/6/17

विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार

ज्ञापांक संख्या : 1520 पटना, दिनांक: 23/6/17

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव बिहार सरकार के आप्त सचिव/विकास आयुक्त बिहार सरकार के आप्त सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल के सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार सरकार/सचिव स्वास्थ्य–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/पुलिस महानिदेशक बिहार सरकार/सभी सदस्य, राज्य तम्बाकू नियन्त्रण समन्वय समिति, बिहार/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार सरकार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी आरक्षी अधीक्षक, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बिहार/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, बिहार/सभी जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, बिहार/सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/17

विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार

अनुलग्नक 'क'

डब्लू० एच० ओ० फ्रेमवर्क कन्वेन्सन (अनुच्छेद 5.3) के आलोक में तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु गठित प्राधिकृत समिति के लिए दिशा निर्देश

तम्बाकू उद्योग के हित एवं लोक स्वास्थ्य नीतियों के बीच मौलिक टकराव रहता है। तम्बाकू उद्योग अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के लोक हित नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा की जा सकती है। तम्बाकू उद्योग को किसी प्रकार की तरजीह, राज्य सरकार के तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के प्रतिकूल होगी। अतः इस मामले में सुस्पष्ट दिशा निर्देश का रहना राज्य के लिए अत्यावश्यक है।

सामान्य दिशा निर्देश

1. लोक सेवक तम्बाकू उद्योग और/अथवा उसके प्रतिनिधियों के साथ बैठक को सीमित करेंगे।
2. बैठक तभी होगी जब लोक हित में आवश्यक हो।
3. समिति अपनी सभी बैठकों में लोक स्वास्थ्य के महत्व को प्राथमिकता देकर लोक कल्याण को ध्यान में रखेगी।

बैठक करने की प्रक्रिया

1. यदि तम्बाकू उद्योग का कोई प्रतिनिधि किसी लोक सेवक के साथ बैठक करना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में तम्बाकू उद्योग से किसी प्रकार का संपर्क अथवा पत्राचार करने के पूर्व यह मामला लिखित रूप में प्राधिकृत समिति के संज्ञान में लाया जायेगा।
2. तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधि को प्रस्तावित बैठक की कार्यसूची लिखित रूप में स्पष्ट करनी होगी।
3. प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष एवं सचिव प्रस्तावित कार्यसूची की समीक्षोपान्त निर्णय लेंगे कि प्रतिनिधि के साथ प्रसतावित बैठक की जाय अथवा नहीं और सहमति की अवस्था में प्रस्तावित कार्यसूची को वे अन्तिम रूप देंगे।
4. तम्बाकू उद्योग के द्वारा, प्राधिकृत समिति के सचिव को, प्रस्तावित बैठक से पूर्व उसमें भाग लेनेवाले अपने प्रतिनिधि/ प्रतिनिधियों का नाम एवं पदनाम उपलब्ध कराना होगा।
5. बैठक में विधि विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वे बैठक के दौरान समिति के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देंगें।
6. बैठक के पूर्व, प्राधिकृत समिति द्वारा तम्बाकू उद्योग को लिखित रूप से यह स्पष्ट कर देना होगा कि बैठक में किसी प्रकार की साझेदारी अथवा पारस्पारिक सहयोग अन्तर्निहित नहीं है एवं बैठक की प्रकृति को उनके द्वारा दुष्प्रचारित नहीं किया जायेगा।
7. बैठक सरकारी विभाग के परिसर में ही संचालित होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बैठक के दौरान लिया गया फोटोग्राफ मात्र दस्तावेजी साक्ष्य (documentation) के उद्देश्य ही लिया जाय, तम्बाकू उद्योग के जनसम्पर्क गतिविधि में उपयोग हेतु नहीं।
8. सभी सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों को तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधियों से दूरभाष, ई-मेल इत्यादि के माध्यम से पारस्पारिक संपर्क स्थापित करने से बचना चाहिए।

बैठक संचालित करने की प्रक्रिया

- बैठक संक्षिप्त होनी चाहिए और मात्र प्रधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित कार्यसूची के अनुसार ही होगी।
- बैठक को आवश्यकतानुसार किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्राधिकृत समिति के पास होगा।

- बैठक की एक विस्तृत कार्यवाही तैयार की जानी चाहिए। साक्ष्य हेतु बैठक की वॉयस/वीडियो रेकार्डिंग भी कराई जा सकती है।
- बैठक के दौरान उठाये गए किसी प्रश्न का उत्तर यदि बाद में दिया जाना हो तो उसे आवश्यक विचार–विमर्श/ छानबीन/अध्ययन के उपरान्त पत्राचार के माध्यम से दिया जाय।
- बैठक की सूचना यथोचित ढंग से प्रचारित की जायेगी।

<u>लोक सेवकों के लिए आचार संहिता</u>

(1) सभी लोक सेवक, जिनकी तम्बाकू नियंत्रण संबंधी लोक स्वास्थ्य नीतियों के निर्धारण अथवा कार्यान्वयन में भूमिका है वे :–

i) समिति के समक्ष निम्नलिखित घोषणा करेंगे:

I. तम्बाकू उद्योग के साथ पूर्ववर्ती अथवा वर्तमान पेशागत क्रियाकलाप के बारे में, चाहे वह लाभकारी हो या नहीं

II. सेवा त्यागने के उपरान्त तम्बाकू उद्योग से संबंधित किसी पेशागत क्रियाकलाप, चाहे वह लाभकारी हो या नही, से सम्बद्ध होने का कोई इरादा तो नहीं है।

ii) वे पदग्रहण से 30 (तीस) दिनों के अन्दर, तम्बाकू उद्योग में अपने पद को त्याग देंगे और तम्बाकू उद्योग में अपने निवेश अथवा हित का 60 (साठ) दिनों के अन्दर परित्याग कर देंगे। इस नियम के प्रयोजनार्थ, तम्बाकू उद्योग में हित से मतलब व्यक्तिगत (personal), वित्तीय या अन्य हित शामिल हैं, उदाहरणार्थ

I. तम्बाकू उद्योग में कोई वर्तमान स्वामित्व या सीधा निवेश होना।

II. तम्बाकू उद्योग में निदेशक परिषद का कोई सदस्य होना निगम का कोई पदाधिकारी होना या साझेदार होना।

III. तम्बाकू उद्योग से कोई अंशदान प्राप्त करना।

परन्तु उक्त सूची तक सीमित नहीं रहेगा।

iii) वे अपने, परिवारों, संबंधियों, मित्रों अथवा अपने से संबद्ध किन्हीं अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए तम्बाकू उद्योग से कोई अंशदान न तो माँगेंगे न ही प्राप्त करेंगे। अंशदानों में भुगतान, उपहार, सेवाएँ, नकद या वस्तु, रिसर्च हेतु निधि प्राप्त करना, वित्तीय सहायता, पॉलिसी ड्राफ्ट एवं विधिक परामर्श शामिल होगें परन्तु इन तक सीमित नहीं रहेगा।

(2) इस बैठक के फलस्वरूप तम्बाकू उद्योग के साथ लोक सेवकों/ संबंधित विभागों के मध्य वास्तविक या संभावित साझेदारी अथवा सहयोग की दुर्व्याख्या उत्पन्न नहीं हो। यदि ऐसा होता है तो उसे सार्वजनिक रूप से सुधारा जाय।

(3) यदि किसी लोक सेवक को तम्बाकू उद्योग के किसी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुभूति होती है अथवा बिना पूर्व सूचना के तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा उससे संम्पर्क किया गया है तो वह इस संदर्भ में शीघ्रातिशीघ्र लिखित रूप में प्राधिकृत समिति को इसकी सूचना देंगे।

*****